न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– सलविन्द्र सिंह सोहता

आई.ए.एस.

अपील संख्या 48/2018

बनवारी लाल पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी ढिगाल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू ।

—— अपीलान्ट्

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार मुकुन्दगढ़ तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू

—— रेस्पोडेन्ट्

——

विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार मुकुन्दगढ़ दिनांक 12.03.2018 बमुकदमा

उनवानी सरकार बनाम बनवारीलाल अ.धारा 91 राज. काश्तकारी अधि.

मुकदमा नम्बर 13/2017

——

उपस्थितः–

1. श्री उम्मेद राज सैनी –एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी – राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 05.06.2018

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील विद्वान नायब तहसीलदार मुकुन्दगढ़ के निर्णय दिनांक 12.03.2018 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मिअ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणवगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील के तथ्य निम्न प्रकार से हैः– अपीलान्ट को सरकारी भूमि खसरा नम्बर 242 रकबा 0.10 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन रास्ते में से 0.06 हैक्टर भूमि में पत्थर डाल कर अनाधिकरण रूप से अतिक्रमी मानकर बेदखल करने व पेनेल्टीस्वरूप 19 रूपये का जुर्माना लगाने का जो निर्णय पारित किया है वह विरूद्ध कानून व पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया और हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को इनकी स्वयं की खातेदारी की भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया है जबकि अपीलान्ट ने दिनांक 12.03.2018 को अदालत मातहत के समक्ष हाजिर होकर निवेदन किया कि प्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 335 की सीमा के सहारे जो सरकारी रास्ता खसरा नम्बर 242 का रास्ता बताया गया है, उस पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है और रास्ते की भली – भांति अगर नपति की जाती है तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी लेकिन अपीलान्ट के निवेदन पर भी नपतीं नहीं की गयी और दिनांक 12.02.2018 की गलत नपती को ही आधार मानकर बेदखल का

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल की है जबकि इस रास्ते के संदर्भ में पूर्व में भी अपीलान्ट ने जिला कलक्टर महोदय झुंझुनू के यहां अपील पेश की थी और अपील के निर्णय दिनांक 25.03.2004 के तत्कालीन कलेक्टर साहब ने स्पष्ट निर्देश के साथ मुकदमा रिमाण्ड किया था कि अपीलान्ट के खेत की नपती पक्षकारान के समक्ष नियमानुसार की जाकर निर्णय पारित करें परन्तु अदालत मातहत ने इस ओर कोई गोर नहीं किया। अपीलान्ट ने दिनांक 12.03.2018 को अपना जबाब पेश करने के बाद अदालत मातहत से निवेदन किया था कि मौके पर नपती की जावें। इस पर अदालत मातहत ने मौखिक रूप से कहा कि न्यायालय हल्का पटवारी व गिरदावर को आदेश करेगा और अपीलान्ट को सूचित कर नपती की रिपोर्ट मंगवायी जायेगी जिस पर अपीलान्ट 2 – 3 बार अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत होकर नपती के बारे में पूछताछ की परन्तु अपीलान्ट को कोई तारीख व पत्रावली की तारीख पेशी के बारे में कुछ नहीं बताया गया और अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में ही दिनांक 12.03.2018 को निर्णय पारित कर दिया जिसकी कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गयी। अतः अपीलान्ट की ओर से अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 12.03.2018 को निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करें।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट को सुनवाई का साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिये बिना ही अदालत मातहत ने निर्णय जैर बहस पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकर की जाकर निर्णय दिनांक 12.03.2018 अधीनस्थ न्यायालय का निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अतिक्रमण की गई भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है जो राजकीय भूमि है, जिस पर अपीलान्ट ने पक्के मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। जिसका अपीलान्ट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अदालत मातहत द्वारा मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का की जांच कर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये है। जो विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन के उपरांत ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया खसरा नम्बर 335 का क्षेत्रफल 2.88 हैक्टर है, सीमाज्ञान में दर्शित भुजा चौड़ाई 112, 115 मीटर व लम्बाई 240, 249 मीटर के अनुसार क्षैत्रफल की गणना करने पर स्थिती में यह क्षेत्रफल 2.88 हैक्टर से काफी कम होता है। यह कम रहने वाला क्षैत्र रास्ता भूमि पर बताये गये अतिक्रमित क्षैत्रफल से करीब दुगना है । सीमाज्ञान पूर्णतः सन्देह से परे नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.03.2018 अपास्त किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के रिमाण्ड की जाती है सीमाज्ञान पक्षकारों की उपस्थिति में सही प्रकार से करवाकर तथा पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधि सम्मत् निर्णय पारित करें। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, झुंझुनू